रजि ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11042022-235031
CG-MH-E-11042022-235031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चै 21, 1944
No. 190] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 11 अप्रैल, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इ यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिर्ि टंग)] (संशोधन) विनियम, 2022]

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इ यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिर्ि टंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए म्नि लिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इ यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिर्ि टंग)] (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजप्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इ यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिर्ि टंग)] विनियम, 2021 में,-

I. विनियम 23 में, उप-विनियम (5) के स्थान पर म्नि लिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(5) निर्गमकर्ता (इश्युअर) यह सुनिश्चित करेगा कि जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में सौ प्रतिशत जमानत (सिक्यूरिटी कवर) रखी जाए या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) और / या डिबेंचर न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के अनुसार अधिक जमानत (सिक्यूरिटी कवर) रखी जाए, जो जारी (इश्यू) की गई ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में हर समय मूलधन और उस पर मिलने वाले ब्याज की रकम चुकाने के लिए पर्याप्त हो।"

II. विनियम 38 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) यह सुनिश्चित करेगा कि जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में सौ प्रतिशत जमानत (सिक्यूरिटी कवर) रखी जाए या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) और / या डिबेंचर न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के अनुसार अधिक जमानत (सिक्यूरिटी कवर) रखी जाए, जो जारी (इश्यू) की गई ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में हर समय मूलधन और उस पर मिलने वाले ब्याज की रकम चुकाने के लिए पर्याप्त हो।"

III. विनियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा पूरी तत्परता बरता जाना (ड्यू डिलिजेंस किया जाना)

40. डिबेंचर न्यासी, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करते समय और ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) खुलने से पहले, बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास:

(क) जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IV में निर्धारित किए गए फॉर्मेट के अनुसार 'पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट)' प्रस्तुत करेगा; और

(ख) गैर-जमानती ऋण प्रतिभूतियों (अनसिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IVक में निर्धारित किए गए फॉर्मेट के अनुसार 'पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट)' प्रस्तुत करेगा।"

IV. विनियम 43 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में सृजित किए गए भार (चार्ज) के बारे में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) तथा डिबेंचर न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किया जाएगा और साथ ही यह वचन-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि सौ प्रतिशत जमानत (सिक्यूरिटी कवर) या अधिक जमानत (सिक्यूरिटी कवर) रखने के लिए जिन आस्तियों (असेट्स) पर भार (चार्ज) सृजित किया गया है या जिन्हें जमानत (सिक्यूरिटी) के तौर पर रखा गया है उन पर कोई ऋण-भार नहीं है और यदि उन आस्तियों (असेट्स) पर ऋण-भार है, तो उन आस्तियों (असेट्स) पर कोई और भार सृजित करने के संबंध में उन मौजूदा लेनदारों से, भार सृजित करने से पहले, अनुमति या सहमति ले ली गई है जिनके पक्ष में आस्तियों (असेट्स) पर भार सृजित किया हुआ है।"

V. विनियम 44 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(3) डिबेंचर न्यासी स्टॉक एक्सचेंज के पास:

(क) जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IV में निर्धारित किए गए फॉर्मेट के अनुसार 'पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट)' प्रस्तुत करेगा; और

(ख) गैर-जमानती ऋण प्रतिभूतियों (अनसिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IVक में निर्धारित किए गए फॉर्मेट के अनुसार 'पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट)' प्रस्तुत करेगा।"

VI. विनियम 48 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में सृजित किए गए भार (चार्ज) के बारे में प्र ताव द तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) तथा डिबेंचर न्यास विलेख (ट्र ट डीड) में प्रकटीकरण (डि क्लोज़र) किया जाएगा और साथ ही यह वचन-पत्र भी प्र तुत किया जाएगा कि सौ प्रतिशत जमानत (सिक्यूरिटी कवर) या अधिक जमानत (सिक्यूरिटी कवर) रखने के लिए जिन आ तियों (असेट्स) पर भार (चार्ज) सृजित किया गया है या जिन्हें जमानत (सिक्यूरिटी) के तौर पर रखा गया है उन पर कोई ऋण-भार नहीं है और यदि उन आ तियों (असेट्स) पर ऋण-भार है, तो उन आ तियों (असेट्स) पर कोई और भार सृजित करने के संबंध में उन मौजूदा लेनदारों से, भार सृजित करने से पहले, अनुमति या सहमति ले ली गई है जिनके पक्ष में आ तियों (असेट्स) पर भार सृजित किया हुआ है ।"

VII. अनुसूची-I में,

i. भाग-क में, खंड 2.2.3 के स्थान पर निम्न लिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"2.2.3 क्रेडिट रेटिंग के ब्यौरे [निर्गम (इ यू) के संबंध में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा हाल ही में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति सहित] और साथ ही यह घोषणा कि निर्गमन (इ युएंस) और सूचीबद्धता (लि टिंग) की तारीख को रेटिंग मान्य है । ऐसी प्रेस विज्ञप्ति निर्गम (इ यू) के खुलने की तारीख से एक वर्ष से ज्यादा पुरानी न हो ।"

ii. भाग-ख में, खंड जिसका शीर्षक "क्रेडिट रेटिंग" है, उसके स्थान पर निम्न लिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"क्रेडिट रेटिंग

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम (एजेंसियों के नाम) बताएं और यह भी बताएं कि कितनी रेटिंग मिली है तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की प्रेस विज्ञप्ति की तारीख (तारीखें) भी बताएं ।"

VIII. अनुसूची-II में, खंड 2.3.3 के स्थान पर निम्न लिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"2.3.3 क्रेडिट रेटिंग के ब्यौरे [निर्गम (इ यू) के संबंध में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा हाल ही में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति सहित] और साथ ही यह घोषणा कि निर्गमन (इ युएंस) और सूचीबद्धता (लि टिंग) की तारीख को रेटिंग मान्य है । ऐसी प्रेस विज्ञप्ति निर्गम (इ यू) के खुलने की तारीख से एक वर्ष से ज्यादा पुरानी न हो।"

IX. अनुसूची-IV में,

i. शब्दों, अंकों और चिह्नों "विनियम 40 और विनियम 44(3) देखें" के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक "विनियम 40(क) और विनियम 44(3)(क) देखें" आ जाएंगे;

ii. शब्दों "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" से पहले, शब्द और चिह्न "स्टॉक एक्सचेंज /" जोड़े जाएंगे।

X. अनुसूची-IV के बाद, निम्न लिखित नई अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्-

"अनुसूची-IVक

डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्र टी) द्वारा प्र तुत किए जाने वाले "पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र" (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) का फॉर्मेट

[विनियम 40(ख) और विनियम 44(3)(ख) देखें]

निर्गम (इ यू) के खुलने से पहले डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्र टी) द्वारा प्र तुत किए जाने वाले "पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र" (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) का फॉर्मेट

प्रति,

स्टॉक एक्सचेंज / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

महोदय / महोदया,

विषय: ____________________ लि. की ओर से _______________ के निर्गम (इ यू) के संबंध में

हम, लाए जाने वाले उपरोक्त निर्गम (इ यू) का डिबेंचर न्यासी (के डिबेंचर ट्र टी) होने के नाते, यह उल्लेख करते हैं कि:

1) हमने उपरोक्त निर्गम (इ यू) से संबंधित द तावेजों की और ऐसे ही अन्य संबंधित द तावेजों, रिपोर्टों और प्रमाणप ों की जाँच-पड़ताल कर ली है।

2) इस प्रकार की गई जाँच-पड़ताल के आधार पर और निर्गमकर्ता (इ युअर), उसके निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर और विभि संबंधित द तावेजों, रिपोर्टों और प्रमाणप ों के स्व तं रूप से किए गए सत्यापन के आधार पर:

हम यह पुष्टि करते हैं कि:

क) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में प्र ताव द तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में किए गए सभी प्रकटीकरण (डि क्लोज़र) सत्य, सही और पर्या हैं, जिनके आधार पर निवेशक प्र तावित निर्गम (इ यू) में निवेश करने के बारे में सोच-समझकर निर्णय ले पाएंगे।

ख) निर्गमकर्ता (इ युअर) ने प्र ताव द तावेज में उन सभी शर्तों आदि (प्रसंविदाओं / कोविनेन्ट) [जिनमें शामिल हैं - कोई साइड लेटर, तत्काल भुगतान करने संबंधी खंड, आदि] को प्रकट (डि क्लोज़) कर दिया है, जो डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्र ट डीड) में शामिल की जानी हैं।

ग) निर्गमकर्ता (इ युअर) ने यह वचन-प प्र तुत किया है कि सूचीबद्धता (लि टिंग) हेतु आवेदन दाखिल करने से पहले डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्र ट डीड) पर ह ता र कर लिए जाएंगे।

स थान:

तारीख:

निर्गम (इ यू) का डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्र टी) [रबड़ की मुहर भी लगाएँ]"

माधबी पुरी बुच, अध्य

[विज्ञापन-III/4/असा./17/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इ यू) और इनकी सूचीबद्धता (लि टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, 9 अग त, 2021 को भारत के राजप में प्रकाशित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th April, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, -

I. In regulation 23, sub-regulation (5) shall be substituted with the following, namely, -

"(5) The issuer shall ensure that the secured debt securities are secured by hundred percent security cover or higher security cover as per the terms of the offer document and/or Debenture Trust Deed, sufficient to discharge the principal amount and the interest thereon at all times for the issued debt securities."

II. In regulation 38, sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

"(2) The lead manager shall ensure that the secured debt securities are secured by hundred percent security cover or higher security cover as per the terms of the offer document and/or Debenture Trust Deed, sufficient to discharge the principal amount and the interest thereon at all times for the issued debt securities."

III. Regulation 40 shall be substituted with the following, namely, -

"**Due Diligence by Debenture trustee**

40. The debenture trustee shall, at the time of filing the draft offer document with the stock exchange(s) and prior to opening of the public issue of debt securities, furnish to the Board and stock exchange(s), a due diligence certificate:

(a) in case of secured debt securities, in the format as specified in Schedule IV of these regulations; and

(b) in case of unsecured debt securities, in the format as specified in Schedule IVA of these regulations."

IV. In regulation 43, sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

"(2) The charge created in respect of the secured debt securities shall be disclosed in the offer document and the Debenture Trust Deed along with an undertaking that the assets on which the charge or security has been created to meet the hundred percent security cover or higher security cover is free from any encumbrances and in case the assets are encumbered, the permissions or consent to create any further charge on the assets has been obtained from the existing creditors to whom the assets are charged, prior to creation of the charge."

V. In regulation 44, sub-regulation 3 shall be substituted with the following, namely, -

"(3) The debenture trustee shall submit a due diligence certificate to the stock exchange:

(a) in case of secured debt securities, in the format as specified in Schedule IV of these regulations; and

(b) in case of unsecured debt securities, in the format as specified in Schedule IVA of these regulations."

VI. In regulation 48, sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

"(2) The charge created in respect of secured debt securities shall be disclosed in the offer document and the Debenture Trust Deed along with an undertaking that the assets on which the charge or security has been created to meet the hundred percent security cover or higher security cover is free from any encumbrances and in case the assets are encumbered, the permissions or consent to create any further charge on the assets has been obtained from the existing creditors to whom the assets are charged, prior to creation of the charge."

VII. In schedule I,

i. In Part A, clause 2.2.3 shall be substituted with the following, namely-

"2.2.3 Details of credit rating, along with the latest press release of the Credit Rating Agency in relation to the issue and declaration that the rating is valid as on the date of issuance and listing. Such press release shall not be older than one year from the date of opening of the issue."

ii. In Part B, the clause titled 'Credit Rating' shall be substituted with the following, namely-

"CREDIT RATING

Name of Credit Rating Agency(ies) and the rating(s) obtained along with the date(s) of the press release of the Credit Rating Agency."

VIII. In Schedule II, clause 2.3.3 shall be substituted with the following, namely-

"2.3.3 Details of credit rating, along with the latest press release of the Credit Rating Agency in relation to the issue and declaration that the rating is valid as on the date of issuance and listing. Such press release shall not be older than one year from the date of opening of the issue."

IX. In Schedule IV,

i. the words and symbols "Regulation 40" shall be replaced with the words and symbols "Regulation 40(a)";

ii. the words and symbols "Regulation 44(3)" shall be replaced with the words and symbols "Regulation 44(3)(a)";

iii. before the words "SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA", the words and symbols "STOCK EXCHANGE / " shall be inserted.

X. After Schedule IV, the following new Schedule shall be inserted, namely-

"SCHEDULE IVA

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE

[See Regulation 40(b) and Regulation 44(3)(b)]

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE BEFORE OPENING OF THE ISSUE

To

STOCK EXCHANGE/ SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Dear Sir / Madam,

SUB.: ISSUE OF ____________________ BY ______________LTD.

We, the Debenture Trustee(s) to the above-mentioned forthcoming issue state as follows:

1) We have examined documents pertaining to the said issue and other such relevant documents, reports and certifications.

2) On the basis of such examination and the discussions with the issuer, its directors and other officers, other agencies and on independent verification of the various relevant documents, reports and certifications:

WE CONFIRM that:

a) All disclosures made in the offer document with respect to the debt securities are true, fair and adequate to enable the investors to make a well-informed decision as to the investment in the proposed issue.

b) Issuer has disclosed all covenants proposed to be included in debenture trust deed (including any side letter, accelerated payment clause etc.), in the offer document.

c) Issuer has given an undertaking that debenture trust deed shall be executed before filing of listing application.

Place:

Date:

DEBENTURE TRUSTEE TO THE ISSUE WITH RUBBER STAMP "

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./17/2022-23]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 was published in the Gazette of India on August 9, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.